

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 2592/2008

मधुसूदन शर्मा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (ए-4), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 14.12.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 21.02.2022 को उपस्थित होकर यह जाहिर किया था कि अपीलार्थी की ओर से उन्हें कोई निर्देश प्राप्त नहीं है। जिस पर अधिकरण ने आदेश पारित किया था कि अपीलार्थी को उसके निवास पत्ते पर नोटिस जारी किये जाये। इसके पश्चात अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी किये जा चुके हैं, परंतु अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। अतः यह अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)